न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारीः श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 07/2017 ::

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी		1. श्रीमती कन्यादेवी पत्नी राजाराम जाति राईका निवासी आना, तहसील देसूरी जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत आना

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार पंचायत प्रसार अधिकारी श्री अरूण वैष्णव उपस्थित
अप्रार्थी अनुपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 10.04.2018

यह निगरानी विकास अधिकारी, देसूरी ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 18/2012—2013, संकल्प संख्या 6 दिनांक 12.01.2013 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 47 पट्टा बुक संख्या 304 ग्राम पचांयत आना द्वारा जारी किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस प्रार्थी सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 कन्यादेवी पत्नी राजाराम देवासी के पक्ष में जैर निगरानी आराजी का नई आबादी में पट्टा संख्या 47 पट्टा बुक नम्बर 304 क्षैत्रफल 8337.5 वर्गफीट का राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157(1) के तहत कब्जासुदा मकान नहीं होते हुए भी पुश्तैनी मानते हुए जारी किया गया है। जो नियम विरूद्ध है। धारा 157(1) के तहत पुश्तैनी कब्जासुदा मकान होने पर 2700 वर्गफीट तक का 25 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा सिद्ध होने पर 200/— रू. में पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 नियमों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है। जो काबिल निरस्त है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने बाबत जो मिसल कायम की गई है। उसमें किसी भी आदेशिका पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है न ही ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है तथा द्वितीय आदेशिका में मौके निरीक्षण हेतु गठित वार्डपंचों की कमेटी में वार्डपंचों का नाम बाद में अंकित किया गया है। पत्रावली संलग्न नक्शे में नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है न ही पड़ोस का अंकन किया गया है न ही ग्राम सेवक के हस्ताक्षर अंकित है तथा नक्शा बनाने की दिनांक का भी अंकन नहीं किया गया है। वार्ड पंचो द्वारा बनाई गई निरीक्षण रिपोर्ट पर दिनांक का अंकन नहीं है तथा साथ ही कमेटी के सदस्य चम्पालाल की जगह मगली के हस्ताक्षर है। नियम 148 में पंचायत द्वारा जारी आपति इश्तिहार कहां चस्पा किया गया है तथा किस दिनांक को चस्पा किया गया है इश्तिहार के पृष्ट पर अंकन नहीं है तथा पंचायत की गोल मोहर का अभाव है। पत्रावली पर प्रार्थिया कन्यादेवी क बयान नहीं लिए गए है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर ग्राम पंचायत आना द्वारा पूर्व में गोविन्ददास पुत्र धनादास जाति वैष्णव निवासी आना तहसील देसूरी को पट्टा संख्या 3437 दिनांक 05.06.2003 क्षैत्रफल 1350 वर्गफुट जारी किया गया है। राज. पंचायत राज अधि. के तहत किसी भुखण्ड का एक बार पट्टा जारी किया जाता है तो उसी भूखण्ड पर पुनः पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। जबकि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टा भूमि पर ही जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा खारिज फरमाया जावें।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमशः::2

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज नियमों में 25 वर्ष एंव 50 वर्षो से अधिक पुराने मकानों का ही विनियमितीकरण 200/– रू. में किया जा सकता है जबकि जैर निगरानी पट्टे संबंधी आराजी नई आबादी में स्थित है। जो 25 वर्षो से अधिक पुरानी नहीं होने से पट्टा मात्र 200/– रू. में विधि विरूद्ध जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टा भूमि का कुल क्षेत्रफल 8337.5 वर्गफिट है जबकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम नियम 157(1) के अनुसार 300 वर्गगज तक की भूमि का पट्टा 200/– रू. में जारी किया जा सकता है शेष भूमि को जो 300 वर्गगज से अधिक है को आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर से दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार कम कीमत में जैर निगरानी पट्टा नियमों में दी गई सीमा से अधिक क्षेत्रफल का जारी किया गया है जो नियम 157(1) के प्रावधानों के विपरीत होने से न्यायोचित नहीं है। ग्राम पंचायत आना की मिसल में अंकित सभी आदेशिकाएं अदिनांकित है। जो फर्जी व विधी विरूद्ध प्रतीत होती है। तीन वार्ड पंचो की कमेटी के गठन बाबत आदेशिका में भी अलग स्याही से बाद में वार्ड पंचो के नामों का अंकन किया जाना प्रतीत होता है। तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण बाबत जो रिपोर्ट पेश की गई। उसमें एक वार्ड पंच चम्पालाल की जगह मगली के हस्ताक्षर है एवं इस रद्दोबदल बाबत कमेटी गठन बाबत ग्राम पंचायत आना द्वारा प्रस्ताव नहीं लिया गया है जो नियम विरूद्ध होने से प्रश्नगत पट्टे को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। नियम 148 के तहत जो आपति इश्तिहार जारी किया गया उस पर दिनांक अंकित नहीं है न ही आदेशिका में दिनांक का अंकन है तथा आपति इश्तिहार के पुस्त पर चस्पा किए जाने का स्थान व चस्पा किए जाने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट अंकित नहीं है। जैर निगरानी पट्टा संख्या 47 पट्टा बुक संख्या 304 जो संकल्प संख्या 6 दिनांक 12.01.2013 की पालना में जारी किया गया है। वह इसी भूमि पर पूर्व में गोविन्द दास पुत्र धनादास जाति वैष्णव निवासी आना के हक में पट्टा संख्या 3437 दिनांक 05.06.2003 जारी किया हुआ है एवं ग्राम पंचायत आना द्वारा उसी आराजी पर दूसरा पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किया गया है। जो पंचायती राज अधिनियम के नियमों के अनुसार नहीं होने से जैर निगरानी पट्टे के यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत आना द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 कन्यादेवी पत्नी राजाराम जाति राईका निवासी आना के पक्ष में मिसल संख्या 18/2012–2013, संकल्प संख्या 6 दिनांक 12.01.2013 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 47 पट्टा बुक संख्या 304 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत आना का रेकर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली